

17.05..2022::—आज यह पत्रावली वादी वकील के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान में इस प्रकरण में वादी व प्रतिवादी का राजीनामा हो गया है। इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते। उक्त प्रार्थना-पत्र पर वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर वादी सतपल सिंह के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री लालचन्द वर्मा द्वारा पहचान की गई। अतः वादपत्र वादिया मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

